**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 4671**
**गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई संपर्क का विस्तार

**4671. श्री अनूप संजय धोत्रेः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक कितने विमानपत्तन, हेलीपोर्ट और जलीय हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं;
(ख) क्या योजना के अगले चरण के लिए अल्प सेवित और सेवा रहित क्षेत्रों में नए मार्गों को चिह्नित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) टियर-2 और टियर-3 शहरों में बेहतर हवाई संपर्क के परिणामस्वरूप क्या सामाजिक-आर्थिक प्रभाव देखा गया है;
(घ) क्या सरकार का क्षेत्रीय विमानन अवसंरचना में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) हवाई कंपनियों को अल्प लाभ वाले क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन जारी रखने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क): आरसीएस-'उड़ान' योजना के तहत अब तक देशभर में 15 हेलीपोर्टों और 2 वाटर एयरड्रोमों अड्डों सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को प्रचालनरत किया जा चुका है।

(ख) चालू आरसीएस-'उड़ान' योजना के तहत 637 मार्गों को प्रचालरत किया गया है।

सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सहित देशभर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए संशोधित 'उड़ान' योजना शुरू करने की घोषणा की है।

(ग): आरसीएस-'उड़ान' योजना ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए और दूरस्थ एवं अल्पसेवित क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार, रोजगार एवं समावेशी विकास को संवर्धित करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।

(घ): इस योजना में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी शामिल है, जिसमें परामर्श करके हवाईअड्डों की पहचान की जाती है और निःशुल्क भूमि, एटीएफ पर कम वैट, अवसंरचना एवं सेवाओं के लिए लागत साझाकरण और भूमि अधिग्रहण एवं हवाईअड्डे के विस्तार में सुविधा जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) : 'उड़ान' मार्गों की वित्तीय वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार चयनित एयरलाइन प्रचालकों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ), तीन वर्ष की विशिष्ट अवधि और हवाईअड्डा प्रचालकों एवं राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न रियायतें प्रदान की जाती हैं।

*****